(संलग्नक–12)

संख्या 3047/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

श्री डी0एस0 बग्गा
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2002

विषय : ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हावेस्टिंग की नीति को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश को बहुतायत में जल संसाधन प्रदत्त हैं, परन्तु वर्तमान में जल के अत्यधिक दोहन से प्रदेश में भूमिगत जल का स्तर निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जल के दोहन की गति भूमिगत जल की वार्षिक प्रतिपूर्ति से अधिक हो गई है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भूजल के अत्यधिक दोहन वाले कुल 809 विकास खण्डों में से 22 विकास खण्ड क्रिटिकल तथा 53 विकास खण्ड सेमी–क्रिटिकल स्थिति में है। भूजल संसाधनों के अति दोहन के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है तथा कुएं एवं बोर–वैल्स सूख गए हैं। विगत तीन वर्षों में लखनऊ के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर 6 मीटर की गहराई से बढ़कर 17 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है तथा भूजल का स्तर गिरने की वार्षिक दर 0.30 मीटर से 0.50 मीटर वार्षिक तक हो गई है जिसके कारण

नलकूपों की क्षमता में कमी आई है। ऐसी आशंका है कि भूजल स्तर के गिरने का यदि यही क्रम बना रहा तो आगामी कुछ वर्षों में भूमिगत जलस्रोत समाप्त हो जाएंगे।

2. घटते जल स्तर के दृष्टिगत जल की बढ़ती मांग को वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार लाकर एवं जलापूर्ति के सम्बर्द्धन से पूरा किया जा सकता है, परन्तु दोनों माध्यमों को अपनाएं जाने में वित्तीय बोझ बढ़ेगा अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से प्रदेश में पेय जल की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकता है। इस हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन को लोकप्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है जहां वर्षा जल के संचयन व भूजल रिचार्जिंग की असीम सम्भावनाएं हैं। वर्षा जल का संचयन, स्वच्छ जल की मांग एवं आपूर्ति के अन्दर को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में कम करने का समुचित अवसर प्रदान करता है, जहां भूजल के अति दोहन के कारण भविष्य में भूगर्भ जल प्राप्त करता है, जहां भूजल के अति दोहन के कारण भविष्य में भूगर्भ जल प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

3. जल संसाधन की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाए जाने के सम्बन्ध में यद्यपि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से शासनादेश संख्या 1703/9–आ–1–29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 द्वारा विस्तृत नीतिगत निर्देश जारी किए गए हैं परन्तु उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु गम्भीर प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

   (i) आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने–अपने कार्यालय भवनों में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग की प्रणाली इन आदेशों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर स्थापित किया जाना।

   (ii) विद्यमान तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग प्रणाली को अपनाए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना,

   (iii) सामुदायिक सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों विशेषकर स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सामुदायिक केन्द्र, सभा भवनों आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना,

   (iv) नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों, झीलों, आदि का संरक्षण एवं इन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग में लाए जाने हेतु पूर्व में जारी शासनादेश में निहित

निर्देशों के क्रम में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करना,

(v) सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में प्रस्तावित नई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के अनुरूप भूजल रिचार्जिंग हेतु मानकों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करना।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रयोक्ताओं, विभिन्न वर्गों को शिक्षित करने तथा इस कार्यक्रम को मांगोन्मुखी बनाने के लिए प्रशासकों व गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं।

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का ष्ट करें ताकि भूजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु लगातार गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिए प्रदेश में लागू लागू रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

भवदीय,

(डी0एस0 बग्गा)
मुख्य सचिव

संख्या 3047/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रतिलिपि सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उतर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. सदस्य/सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, यूपीरेडको।
10. अध्यक्ष, आर्कीटैक्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(जे0एस0 मिश्र)
सचिव